335 228

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

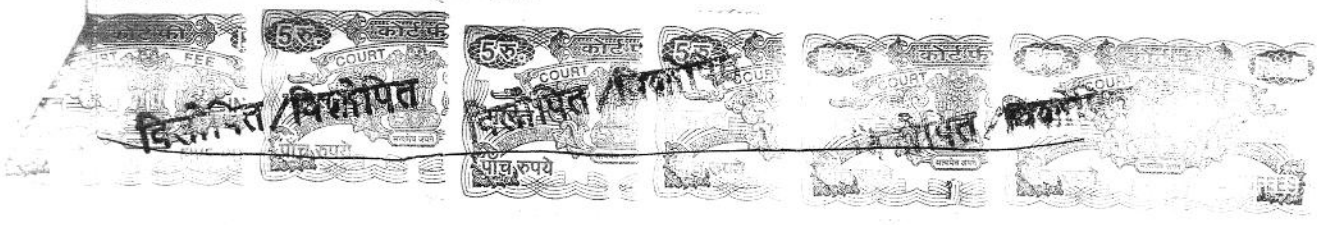

1— चित्रकूट राम तनय प्रद्युम्नराम दुबे III/निग0/सिगरौली/भू.रा./2017/2294

2— प्रकाश नारायण तनय प्रद्येम्नराम दुबे

दोनो निवासी ग्राम गड़हरा, तहसील जिला सिगरौली (म0प्र0)

————आवेदकगण

बनाम

1— राजाराम | सभी के पिता दुनियापति राम दुबे

2— वेसन्ती प्रसाद

3— बबुआराम

4— श्रीमती द्रोपदी विधवा पत्नी दुनियापति राम दुबे

सभी निवासी निवासी ग्राम गड़हरा, तहसील जिला सिगरौली (म0प्र0)

————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त कोठार, तहसील सिगरौली, जिला सिगरौली दिनांक 09/06/17 वावत् प्र0क0— 7—अ—74/16—17 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व कार्यवाही विधि व प्रकिया के विपरीत है ।

2— यह कि विधि में यह व्यवस्था है कि प्रकरण की प्रचलनशीलता व न्यायालय की अधिकारिता का निराकरण न्यायालय के नियमतः सर्वप्रथम करना चाहिये, परंतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा

228

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2294 जिला–सिंगरौली

चित्रकूटराम / राजाराम दुवे

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त कोठार, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–74 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	